संक्षिप्त

सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन

निवाई। अग्रवाल धर्मशाला में अग्रसेन जयंती महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह का शुभारंभ प्रेमचंद बोहरा द्वारा ध्वजारोहण करके किया गया। दोपहर 1 बजे खेलकूद प्रतियोगिता, मनोरंजक पहेलियां एवं सवाल-जवाब प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसके बाद गणेश वंदना व स्वागत गीत के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हुए। साथ ही साड़ी पहनो प्रतियोगिता, महाराजा अग्रसेन जी की सजीव झांकी, वरिष्ठजन सम्मान समारोह एवं महिलाओं व बालिकाओं द्वारा डांडिया नृत्य की प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम के अंत में पदाधिकारियों द्वारा प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके अलावा सभी बच्चों व बच्चियों को सांत्वना पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विधायक रामसहाय वर्मा, पालिका अध्यक्ष नरेन्द्र जयसिंहपुरा, उपाध्यक्ष जितेन्द्र चंवरिया, पारस पहाड़ी, पवन सांवलिया, अग्रवाल समाज के अध्यक्ष मोहनलाल अग्रवाल, कैलाश मोदी, कैलाश अग्रवाल, भागचंद शेखाटिया, संतोष मोदी, सत्यनारायण शेखाटिया रामजीलाल अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, रवि अग्रवाल, पवन अग्रवाल, महावीर डंगायच, मोहन एनबीसी, अजय अग्रवाल व राजू अग्रवाल सहित युवा मंडल के सदस्यों की विशेष भागीदारी रही।

आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग दस्तयाब

टोंक। जिला पुलिस अधीक्षक रोशन मीना के निर्देशन में जिले में चलाये जा रहे ऑपरेशन खुशी-11 के तहत वृताधिकारी मदनलाल एवं घाड थानाधिकारी हरिराम वर्मा के नेतृत्व मे गठित थाना टीम ने इस अभियान में कार्यवाही करते हुए थाना घाड क्षेत्र से नाबालिग बालिका को बहला फुसला कर भगा कर ले जाने वाला आरोपी आकाश पुत्र मुलचन्द मीणा उम्र 27 साल निवासी झालरा थाना उनियारा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से नाबालिक अपहर्ता को दस्तयाब किया गया।

जागरूकता सत्र आयोजित

निवाई। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में खाद्य सुरक्षा विभाग के तत्वावधान में ईट राइट विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर रहे। उन्होंने विद्यार्थियों व शिक्षकों को सुरक्षित, पौष्टिक एवं संतुलित आहार के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने दैनिक जीवन में जंक फूड व मिलावटी खाद्य पदार्थों से बचने एवं भोजन में स्वच्छता अपनाने के व्यावहारिक सुझाव साझा किए। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग व प्रशासन से जुड़े अधिकारियों ने सहभागिता निभाई। प्रधानाचार्य गिरिराजप्रसाद गुर्जर, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा महेश दाधीच, समग्र शिक्षा अभियान के ऐपीसी ताराचंद गोयल, पीओ आकाश चौधरी ने स्वस्थ जीवनशैली व स्वच्छता पर जोर दिया। सत्यनारायण गुर्जर ने दैनिक उपयोग की खाद्य सामग्री में मिलावट पहचानने के आसान तरीकों के बारे में बताया। उन्होंने विद्यार्थियों को ताजे फल, हरी सब्जियां और अंकुरित अनाज को दैनिक आहार में शामिल करने के लिए प्रेरित किया।

मोबाइल हैक कर 2.26 लाख रुपए की धोखाधड़ी

जयपुर। चाकसू थाना क्षेत्र के सवाई माधो सिंह पुरा गांव निवासी हनुमान सैनी (37) के साथ 2 लाख 26 हजार रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। परिवादी हनुमान सैनी पुत्र ग्यारसी लाल सैनी ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने गलत पहचान बताकर उनका मोबाइल फोन हैक किया और वित्तीय धोखाधड़ी की। पुलिस के अनुसार परिवादी ने घटना 8 अक्टूबर 2026 को रात 9:32 बजे की बताई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी है।

नम्बर मिलाइए
8890333139

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की मौत के मामले में 32 नामजद, 16 हिरासत में

कार्यालय में आगजनी और मशीनों में तोड़फोड़ की भी रिपोर्ट ली

जयपुर/भरतपुर। पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की मौत के मामले में उनकी पत्नी कमलेश भड़ाना ने वैर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर करीब 32 लोगों को नामजद किया है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि भौड़ा गांव स्थित खनन पट्टे पर करीब 80 लोग पहुंचे और फायरिंग करने के बाद अतर सिंह भड़ाना पर लाठी-डंडों, सरियों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। मामले में पुलिस ने 16 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा के अनुसार मृतक की पत्नी की रिपोर्ट के आधार पर करीब 32 लोगों को नामजद किया गया है। अन्य लोगों को भी मामले में शामिल किया गया है। पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रही है और आरोपियों की पहचान के साथ घटनाक्रम की जांच की जा रही है।

कमलेश भड़ाना ने रिपोर्ट में बताया कि वह मैसर्स सुभाष चंद, मुकेश चंद खनन पट्टा संख्या 3/93, भौड़ा गांव, वैर में साझेदार हैं। रविवार

पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना

एसएमएस अस्पताल में सांसद राव राजेन्द्र सिंह सहित कई जने मौजूद रहे।

शाम करीब सात बजे वह अपने पति अतर सिंह भड़ाना के साथ खनन क्षेत्र में बने आवास पर थीं। उस समय लीज पर काम करने वाले कर्मचारी पूरन सिंह, गगन, प्रदीप और कुछ अन्य लोग भी वहां मौजूद थे।

रिपोर्ट के अनुसार इसी दौरान भौड़ा गांव के मुकेश, राजवीर, जगत, बाबू, बनवारी, भागमल, दुल्या, पुष्कर, कपिल, विष्णु, हेमसिंह, गौरव, कौशल, अवतार, जितेंद्र, शिव सिंह, संजय, राधाकिशन, नाहर सिंह, हंसा, प्रकाश, लाखन, ओमराज, राम प्रवेश, रमेश, लाला, बृजबिहारी, हरकेश, केहरी, लाखन और बलराम सहित करीब 80 लोग खनन पट्टे पर पहुंचे।

सिर और शरीर पर वार करने का आरोपः- कमलेश के अनुसार, हमलावरों ने अतर सिंह भड़ाना को घेरकर पकड़ लिया और उनके सिर, हाथ, पैर तथा पीठ पर लाठी-सरियों से हमला किया। मारपीट में उनके सिर से खून निकलने लगा और वह बेहोश हो गए। उन्हें बचाने के लिए कर्मचारी गगन, पूरन सिंह, प्रदीप और सुरक्षा गार्ड आगे आए, लेकिन आरोप है कि हमलावरों ने उनके साथ भी मारपीट की। रिपोर्ट में कमलेश ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने उनके पति और कर्मचारियों को जिंदा जलाने के इरादे से कार्यालय और कमरों में आग लगा दी। खनन क्षेत्र में लगी थ्रेसर मशीनों में तोड़फोड़ भी की गई। पति को बचाने का प्रयास करने पर कमलेश के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट किए जाने का भी आरोप है, जिससे उन्हें चोटें आईं।

■ खनन पट्टे पर 80 लोगों के पहुंचने और फायरिंग कर लाठी-डंडों व धारदार हथियारों से हमला करने का आरोप

करीब 40 अन्य लोगों की पहचान का उल्लेखः- एफआईआर में कमलेश भड़ाना ने हमले में शामिल बताए गए करीब 40 अन्य लोगों की पहचान का भी उल्लेख किया है। इनमें बलदेव, सिया, महेंद्र, रविंद्र, गब्बर, दानवीर, भागमल, योगेश, पप्पी, राजू, जितेंद्र, देवेंद्र, बबली, डिग्गो, शिवनरेश, हरिओम, नरेश, कुंज बिहारी पुत्र बृजेश, जल सिंह, लाला राम, जतन और हरनाम सहित अन्य नाम शामिल हैं। आरोप है कि हमलावर मौके पर मौजूद लोगों को जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। पुलिस रिपोर्ट में दर्ज नामों के आधार पर सभी की भूमिका की जांच कर रही है।

भाजपा के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष राजेश मंगल का पावटा में स्वागत

पावटा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष सीए राजेश मंगल मोटाका के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दायित्व मिलने के बाद अपनी मातृभूमि एवं जन्मभूमि पावटा आगमन पर नगरवासियों ने भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया। नवरात्र स्थापना और श्री अग्रसेन महाराज जयंती के पावन अवसर पर उनके आगमन को लेकर पावटा नगर सहित पूरे सत्ताईस क्षेत्र में उत्साह और हर्ष का माहौल देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने इसे क्षेत्र के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया। पावटा बस स्टैंड पर भाजपा व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक एवं पूर्व जिला पार्षद कन्हैया लाल मीना के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और नवनिर्वाचित पार्षदों ने राजेश मंगल मोटाका का माला एवं साफा पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वागत समारोह में पावटा शहर के विभिन्न व्यापार मंडलों, अग्रवाल समाज के पदाधिकारियों, व्यापारियों, व्यवसायियों, किसानों और वरिष्ठ नागरिकों ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया।

रघुनाथपुरा में महाराजा अग्रसेन की 5150 वीं जयंती मनाई

कोटपूतली। निकटवर्ती ग्राम रघुनाथपुरा में अग्रवाल सेवा समिति की ओर से महाराजा अग्रसेन की 5150 वीं जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई।

ग्राम चौपाल पर आयोजित समारोह में पूर्व जिला पार्षद ललित गोयल मुख्य अतिथि रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष एड. दिनेश कुमार अग्रवाल ने की। विशिष्ट अतिथि कोटपूतली के पूर्व विधायक सुभाष चंद्र शर्मा रहे। समारोह का शुभारंभ महाराजा अग्रसेन के चित्र के समक्ष द्वीप प्रज्जवलित कर किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व जिला पार्षद ललित गोयल ने अपने संबोधन में महाराजा अग्रसेन के आदर्शों को वर्तमान समय में भी प्रासंगिक बताते हुए कहा कि उनके विचार समाज में आपसी भाईचारे, समानता और सहयोग की भावना को मजबूत करने की प्रेरणा देते हैं।

उन्होंने कहा कि समाज की उन्नित के लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करना चाहिए तथा युवाओं को महापुरुषों के आदर्शों से प्रेरणा लेकर सामाजिक और रचनात्मक गतिविधियों में भागीदारी निभानी चाहिए। पूर्व विधायक सुभाष शर्मा ने कहा कि महाराजा अग्रसेन के राज्य में शेर और मेमने द्वारा एक ही घाट पर पानी पीने की कथा उनके राज्य की अहिंसा शांति और दिव्यता को दर्शाती है।

■ एक रुपया-एक ईंट के सिद्धांत को बताया सामाजिक समरसता का प्रतीक, मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान

सक्षम अग्रवाल प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित करने की पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों और युवाओं का उत्साह बढ़ाने के साथ समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता भी बढ़ाते हैं। समिति अध्यक्ष एड. दिनेश कुमार अग्रवाल ने महाराजा अग्रसेन के जीवन और उनके आदर्शों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उन्होंने समाज में सहयोग और समानता की भावना को बढ़ावा देने के लिए एक रुपया-एक ईंट का सिद्धांत लागू किया था।

समिति सचिव एड. विकास अग्रवाल ने कहा कि महाराजा अग्रसेन ने समाज को समाजवाद, परस्पर सहयोग और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। कार्यवाहक अध्यक्ष पवन अग्रवाल ने समाजबंधुओं से उनके बताए मार्ग पर चलने तथा उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का आव्हान किया।

समिति उपाध्यक्ष रूपेश मंगल ने बताया कि समारोह में बोर्ड परीक्षाओं और अन्य क्षेत्रों में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले समाज के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। इस दौरान समिति अध्यक्ष ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर समिति की गतिविधियों की जानकारी दी।

कोटपूतली में कवि सम्मेलन आयोजित

कोटपूतली। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन जिला कोटपूतली बहरोड एवं अग्रवाल समाज समिति कोटपूतली के संयुक्त तत्वाधान में महाराजा अग्रसेन की 5150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में विशाल कवि सम्मेलन का आयोजन श्री अग्रसेन तिराहे पर किया गया। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि राधा पटेल, एडीएम सोहन सिंह नरूका, न्यायाधीश नीलम मीना, सभापति कमल सैनी, उपसभापति गोपाल अग्रवाल, पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना ने श्री अग्रसेन महाराज की मूर्ति के समक्ष द्वीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठजनों का जिला कार्यकारिणी द्वारा स्मृति चिन्ह एवं दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया गया। कवि सम्मेलन में कवि कमल मनोहर ने मंच संचालन किया, अंतर्राष्ट्रीय जाने-माने कवि रामभदावर, कोमल नाजुक, सूरत अजनबी, महेश डांगरा, कमलेश शर्मा, श्रीकांत जोशी ने अपनी कविताओं से श्रोताओं को खूब लुभाया।

निवाई की रामलीला में भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव का मंचन

निवाई। प्रताप स्टेडियम में नगरपालिका मण्डल के तत्वावधान में आयोजित रामलीला में सोमवार को आर्यवीर कलाकार रंगमंच संस्थान के कलाकारों द्वारा भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव का मंचन किया गया। जिसको देखने के लिए शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र से लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।

■ दशहरा महोत्सव को लेकर 25 अक्टूबर तक होंगे एकाएक रंगारंग कार्यक्रम

भाजपा शहर अध्यक्ष नितिन छाबडा व पवन शर्मा गुरूजी ने बताया कि दशहरा मेला महोत्सव को लेकर आयोजित रामलीला में राजा दशरथ द्वारा पुत्रेष्ठि यज्ञ, कौशल्या को चतुर्भुज अवतार दर्शन, भगवान श्रीराम जन्मोत्सव, विश्वामित्र यज्ञ भंग, विश्वामित्र द्वारा राम लक्ष्मण को वन ले जाना, ताडका व सुबाहू का वध, व अहिल्या उद्धार का मंचन किया गया। कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देकर लोगों का मनोरंजन किया।

इस दौरान रंगमंच के पदाधिकारियों ने पालिकाध्यक्ष नरेन्द्र शर्मा सहित सभी पार्षदों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। रामलीला के मंचन के दौरान प्रताप स्टेडियम में मूंगफली, कचैरी-पताशी एवं खिलोनों के ठेलों पर भी लोगों व बालकों की भीड़ लगी रही। बडे-बडे लाउड स्पीकरों की ध्वनियों से आस-पास का वातावरण गुंजायमान हो उठा।

प्रताप स्टेडियम में आयोजित रामलीला में नगरपालिका मंडल को सम्मानित करते हुए रामलीला मंडल के कार्यकर्ता।

शाहपुरा में अधूरे पड़े मकान, बैंकों के कर्ज तले दबे लाभार्थी

शाहपुरा/मनोहरपुर। गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को अपने खुद के आशियाने का सपना दिखाकर अधर में छोड़ देने का एक बड़ा मामला सामने आया है।

शाहपुरा की विनायक कॉलोनी में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत बनने वाले मकान 11 साल बीत जाने के बाद भी बनकर तैयार नहीं हो सके हैं। वर्ष 2015 में जिन लोगों ने अपने खून-पसीने की कमाई और बैंक से कर्ज लेकर इस आस में रजिस्ट्रेशन कराया था कि उन्हें अपना घर मिलेगा, वे आज भी सरकारी उपेक्षा का शिकार हैं।

योजना के तहत पंजीयन कराने वाले लाभार्थियों का कहना है कि उन्होंने निर्धारित राशि जमा करवाई और कई लोगों ने बैंकों से भारी ब्याज दर पर लोन भी लिया। मकान का कब्जा तो दूर, आज स्थिति यह है कि दीवारें और ढांचा अधूरा खड़ा है, लेकिन बैंक की मासिक किस्तें लगातार जारी हैं। पीड़ित न केवल आर्थिक रूप से टूट चुके हैं, बल्कि मानसिक प्रताड़ना भी झेलने को मजबूर हैं। लाभार्थियों का आरोप है कि बीते एक दशक में अधिकारियों और जिम्मेदारों की तरफ से केवल आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। हर बार निर्माण कार्य जल्द पूरा कराने का दावा किया जाता है, लेकिन धरातल पर काम जस का तस अटका पड़ा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता दिगराज सिंह शाहपुरा ने मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन से इस पूरे प्रकरण में सख्त रुख अपनाने का आग्रह किया है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराने तथा लाभार्थियों को तुरंत आशियाना और न्याय दिलाने की मांग की है। हमने अपने जीवन भर की जमा पूंजी इस उम्मीद में लगा दी थी कि सिर पर अपनी छत होगी। आज न मकान मिला और न बैंक की किस्तें बंद हुईं। आखिर हमारे साथ यह अन्याय कब तक चलेगा?

भरतपुर में सड़क चौड़ाईकरण की कार्रवाई तेज, अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी

भरतपुर। भरतपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आर.बी.एम. अस्पताल से चांदपोल तक मास्टर प्लान के अनुरूप 36 मीटर चौड़ाई में सड़क चौड़ीकरण का कार्य करवाया जा रहा है। सड़क के मध्य बिंदु से दोनों ओर 18-18 मीटर तक अतिक्रमण हटाने के लिए प्राधिकरण द्वारा संबंधित अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं।

आयुक्त बीडीए कनिष्क कटारिया ने बताया कि 12 अक्टूबर, सोमवार को बीडीए तहसीलदार मनीष मीणा के साथ भरतपुर विकास प्राधिकरण की टीम ने आर.बी.एम. से चांदपोल के मध्य सड़क मार्ग पर कार्रवाई करते हुए अस्थायी एवं स्थायी अतिक्रमण हटाए।

कार्रवाई के दौरान सिंगल ऑयल मिल द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान ऑयल मिल मालिक ने स्वयं अपने स्तर पर अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया।

प्राधिकरण द्वारा शेष अतिक्रमण हटाने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण अधिकारियों ने ऑयल मिल मालिक को चेतावनी दी है कि निर्धारित तीन दिन की अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार अपने स्तर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त काली बगीची से कोठारी स्टोन के बीच सड़क के दोनों ओर लगभग 150 फीट के क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण हटाए गए। स्टोन व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों द्वारा सड़क सीमा में रखी गई पत्थर की पट्टियों को भी हटवाया गया, जिससे सड़क चौड़ीकरण कार्य में बाधा दूर की जा सके।

भरतपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मास्टर प्लान के अनुरूप सड़क चौड़ीकरण एवं अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। प्राधिकरण ने संबंधित व्यक्तियों एवं व्यवसायियों से अपील की है कि वे सड़क सीमा में किए गए अतिक्रमण स्वयं हटा लें, ताकि विकास कार्यों को सुचारू रूप से पूरा किया जा सके।

टीम ने आर.बी.एम. से चांदपोल के मध्य सड़क मार्ग पर कार्रवाई करते हुए अस्थायी एवं स्थायी अतिक्रमण हटाए।

■ सड़क के मध्य बिंदु से दोनों ओर 18-18 मीटर तक अतिक्रमण हटाने के लिए प्राधिकरण द्वारा संबंधित अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए

■ स्टोन व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों द्वारा सड़क सीमा में रखी गई पत्थर की पट्टियों को भी हटवाया

अग्रसेन शोभायात्रा में माता के रूप धरी बालिकाओं ने मोहा मन

पावटा। अग्रकुल के प्रवर्तक भगवान अग्रसेन का 5150 वां जन्मोत्सव का शुभारंभ रविवार को हुआ। अग्रवाल समाज संपत्ति ट्रस्ट, अग्रवाल महासभा पावटा के तत्वाधान में अग्रसेन जन्मोत्सव-2026 के तहत कार्यक्रम का शुभारंभ प्रात: 5:00 बजे भव्य प्रभात फेरी के साथ हुआ। इसके पश्चात दोपहर 2 कस्बा स्थित मोदी मंदिर से पूजा अर्चना कर शोभायात्रा प्रारंभ हुई।

मातारानी को हाथी पर सवार करके करवाया नगर भ्रमण

निवाई। रक्तांचल पर्वत की तलहटी में स्थित कंकाली माता जी के मंदिर में शक्ति पीठ संस्थान के तत्वावधान में कंकाली माता का नगर भ्रमण करवाया गया। जिसमें श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। शक्ति पीठ संस्थान के अध्यक्ष शंकरलाल सौनी ने बताया की नवरात्रि के दूसरे दिन सुबह पुजारी नारायण दास ने मातारानी को हाथी पर सवार करके नगर भ्रमण कराया। नगर भ्रमण में कंकाली माता के आगे 11 शाही ध्वज को लेकर साधू संत चल रहे थे।

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य रामचन्द्र तमोली उम्र 73 वर्ष निवासी 65/6 हीरा पथ मानसरोवर अपने पुत्र/पुत्रवधू दत्तक पुरूषोतम व रेखा जो कि पिछले कई सालो से चल अचल सम्पति को हडप जाने के उद्देश्य से कटुतापूर्ण व्यवहार करते है व वैमनस्थ स्थापित करते हुऐ अभद्र भाषा का प्रयोग करते है जान से मारने पर आतुर है को अपने चल अचल सम्पति एंव जीवन से बेदखल करते है
जयपुर (शैलेन्द्र सिंह) एडवोकेट
मोबाइल- 9636360070

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक:4162 जाहिर आम-सूचना दिनांक:05.10.2026
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास/फ्लैट संख्या MA-I/414 (4-F) (MIG-A), (एरिया 35.53 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री शिवन दास पुत्र श्री ठाकुमल को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 3347 दिनांक 30.06.2011 को जारी किया गया। श्री शिवन दास के पक्ष में उक्त आवास/फ्लैट के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 18.12.2012 को उप पंजीयक-अष्टम जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्री शिवन दास द्वारा उक्त आवास/फ्लैट को दिनांक 18.12.2012 के द्वारा श्री सचिन खुराना पुत्र श्री के. एल. खुराना को विक्रय कर उप पंजीयक - अष्टम, जयपुर के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। श्री सचिन खुराना द्वारा उक्त आवास/ फ्लैट को दिनांक 12.02.2015 के द्वारा श्री . ऋषि पाण्डे पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह पाण्डे को विक्रय कर उप पंजीयक-चतुर्थ, जयपुर के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। श्री. ऋषि पाण्डे द्वारा उक्त आवास/फ्लैट को दिनांक 11.02.2025 के द्वारा श्रीमती बबली मिश्रा पत्नी श्री गोपेश मिश्रा को विक्रय कर उप पंजीयक-एकादश, जयपुर के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। क्रेता/क्रेती श्रीमती बबली मिश्रा पत्नी श्री गोपेश मिश्रा द्वारा आवासन मण्डल में उक्त आवास/फ्लैट के रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है । अतः उक्त आवास/फ्लैट के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नही है, श्रीमती बबली मिश्रा पत्नी श्री गोपेश मिश्रा का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

कार्यालय-उपायुक्त, सांगानेर जोन, नगर निगम जयपुर
(सांगानेर स्टेडियम वाली रोड, गर्ल्स स्कूल के पास)
क्रमांक:एफ-53/डी.सी./एसएनजेड/ननिज/2026-27/2191 दि.06.10.26
सार्वजनिक सूचना/विज्ञप्ति
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री मनीष गुप्ता पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा बलाईयों का मोहल्ला, ग्राम श्योपुर सांगानेर जिला जयपुर का उपविभाजन/ नाम हस्तान्तरण चाहने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड का स्थल	वार्ड नं.	अनुमानित क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	योजना
1	श्री मनीष गुप्ता पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता	बलाईयों का मोहल्ला, ग्राम श्योपुर सांगानेर जयपुर	53	51.91	उपविभाजन / नाम हस्तान्तरण

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर उपविभाजन/ नाम हस्तान्तरण किये जाने के संबंध में यदि किसी संस्था/ व्यक्ति/ हितधारक को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन से 7 दिवस की अवधि में मय दस्तावेज के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है, अन्यथा आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी करने की कार्यवाही संपादित कर दी जावेगी।
(मनमोहन शर्मा) आर. ए. एस
उपायुक्त सांगानेर जोन, नगर निगम जयपुर

आम सूचना यह कि मकान नम्बर 164/266, प्रताप नगर हाउसिंग बोर्ड, सांगानेर, जयपुर क्षेत्रफल 60 वर्गमीटर है पर मेरी अभिभाष्य के पति / पिता श्री शम्भू दयाल गुप्ता ने एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. से ऋण प्राप्त किया हुआ है। श्री शम्भू दयाल गुप्ता का स्वर्गवास दिनांक 03.09.2026 ईस्वी को हो गया। उक्त मकान के मूल दस्तावेज प्राप्त करने हेतु मेरे अभिभाष्य मंजु गुप्ता, शालिनी सिंघल, आदित्य अग्रवाल ने आवेदन किया है यदि किसी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन से सात दिन में अद्योहस्ताक्षकर्ता के समक्ष लिखित आपत्ति मय साक्ष्य प्रस्तुत करें। बाद गुजरने मियाद किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।
Surender Singh Shekhawat, Adocate
M.: 9983155555, 7791855555

कार्यालय उपायुक्त मालवीय नगर जोन, नगर निगम जयपुर
(नई विधानसभा के पास, लालकोठी, जयपुर)
क्रमांक : एफ()/न.नि.ज./मा.न.जोन/2026/3481 दिनांक : 09/10/2026
सार्वजनिक सूचना- सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा भूखण्ड संख्या 6बी योजना कृष्णा नगर, इमलीवाला फाटक, जयपुर सोसायटी पथिक भवन गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर का पट्टा विलेख जिसका क्षेत्रफल 300.00 वर्गगज का श्री कालीचरण शर्मा पुत्र श्री गिरधारी लाल शर्मा के नाम से दिनांक 07.05.2013 को जारी किया गया है। मूल आवंटी श्री कालीचरण शर्मा पुत्र श्री गिरधारी लाल शर्मा के द्वारा नोटरी प्रमाणित वसियतनामा दिनांक 12.07.2018 के द्वारा अपने पुत्र श्री करूणेश कुमार शर्मा के पक्ष में निष्पादित की गई है। श्री कालीचरण शर्मा पुत्र श्री गिरधारी लाल शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 23.09.2018 को हो गया है। श्री करूणेश कुमार शर्मा पुत्र कालीचरण शर्मा के द्वारा रजिस्टर्ड बख्शीशनामा दिनांक 11.03.2024 के द्वारा अपनी पत्नि श्रीमति मीनू शर्मा पत्नि श्री करूणेश कुमार शर्मा के हक में सम्पादित की गई है। आवेदक श्रीमती मीनू शर्मा पत्नि श्री करूणेश कुमार शर्मा के द्वारा दिनांक 11.03.2024 को निष्पादित रजिस्टर्ड बख्शीशनामा के आधार पर वसियत के गवाहो के शपथ पत्र प्रस्तुत कर नाम हस्तानान्तरण चाहा गया है। आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की छायाप्रति के आधार पर भूखण्ड संख्या 6बी योजना कृष्णा नगर, इमलीवाला फाटक, जयपुर सोसायटी पथिक भवन गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर क्षेत्रफल 494.62 वर्गगज का नाम हस्तानान्तरण नगर निगम जयपुर के द्वारा श्रीमति मीनू शर्मा पत्नि करूणेश कुमार शर्मा के पक्ष में किया जाना है। इस नाम हस्तान्तरण बाबत किसी भी व्यक्ति संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त, मालवीय नगर जोन नगर निगम जयपुर) में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित समयावधि की समाप्ति के बाद, नियमानुसार नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।
उपायुक्त, मालवीय नगर जोन, नगर निगम जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 231/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी श्री रमेश चन्द गोयल पुत्र श्री बाबू लाल गोयल निवासी गोयल भवन कचेरी रोड़ अलवर जिला अलवर राजस्थान ने सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत श्री सर्राफा व्यापार समिति केयर ऑफ अग्रवाल आभुषण भण्डार, बजाजा बाजार अलवर जिला अलवर राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 12.10.26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 22.12.26
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग जयपुर

नाम परिवर्तन

मैं दिव्यरतन सिंह पुत्र श्री संग्राम सिंह निवासी एस-11, झोटवाडा रोड, अम्बाबाडी जयपुर अपना नाम दिव्यरतन सिंह चौहान से बदलकर दिव्यरतन सिंह रख लिया है भविष्य में मुझे दिव्यरतन सिंह के नाम से जाना जावें।

मैं मो. नासिर खान पुत्र श्री अब्दुल हकीम निवासी 145 गोल्डन सिटी पुराना कब्रिस्तान गोनेर रोड लुनियावास जयपुर (राजस्थान) बयान करता हूं कि मेरा पासपोर्ट में नाम नासिर (Nasir) दर्ज है जबकि मेरा सही वे वास्तविक नाम मो नासिर खान (Mohd Nasir Khan) है जो की सही है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए।

I Mohammad Yusuf Ansari S/O Mohammad Ismail ploT No D 152 abdul kalam Azad marg Amritpuri ghat gate jaipur Have Changed Name Mohammed Yusuf to Mohammad Yusuf Ansari

I Zainab Naaz S/O Ashafakuddin ploT No 15/16 vivekanand colony adarsh nagar jaipur Have Changed Name Zainab Naz to ZAINAB NAAZ

खोया पाया

मेरे मकान नम्बर-113/171, सैक्टर-11, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुरका ओरिजनल अलाटमेंट लेटर कहीं खो गया मिलने पर सूचित करें अंजु अग्रवाल 9694650982

मेरे मकान 113/117, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर का Demand Latter (No. 6727) कहीं खो गया है।कृपया मिलने पर सूचित करें 9982125512 ताराचन्द खत्री

मेरे भूखंड सं. 265 अपोलो नगर कोआपरेटिव सोसाइटी लि. की योजना हीरा नगर-A जयपुर की समिति से जारी मूल सदस्यता शुल्क की सोसाइटी रसीद कही गुम हो गयी है सूचित करे- श्याम सिरोही मो. 9828522899

मेरे प्लॉट जयपुर नगर चौकड़ी हवाली शहर शर्की शुमाली शनिश्चर मंदिर के पास मोहल्ला डाकोतान बास बदनपुरा के दस्तावेज बास बदनपुरा में गिर गये है। सूचित करे। मोतीलाल राजोरिया, 9928225283

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे आवासीय भूखंड संख्या 25, कल्याण विहार, महाराणा प्रताप मार्ग, पांच्यावाला, जयपुर (302034) का मूल साइट प्लान कल्याण विहार क्षेत्र में कहीं गुम हो गया है। यदि यह दस्तावेज किसी सज्जन को मिले, तो कृपया सूचित करें। मो. 9351789193

प्ररूप-10 नियम 6 (7) देखिए
प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय, नगरपालिका मण्डल, सांभर लेक
क्रमांक-नपासा/2026-27/1941 **लोक सूचना** दिनांक-9/10/2026
M/s. The Infinite Square Private Limited निवासी- दूकान नं. उ.टी.-106 प्लाट न.6 एफ/एफ पैक्ट-7, सेक्टर-12, द्वारका, वेस्ट दिल्ली जरिये निदेशक कृष्ण कुमार पुत्र कन्हाई लाल, श्री रवि चावला पुत्र श्री आनन्दी लाल निवासी- सांभर लेक ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये भू उपयोग परिवर्तन हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र. सं.	जिले का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	चाहा गया उपयोग
1	जयपुर	लालपुरा	2135, 2144, 2136	कुल किता 03 रकबा 1.9600 हैक्टेयर में से आवेदित 1.3167 हैक्टेयर	आवासीय रूपान्तरण हेतु

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के आवासीय भू-रुपान्तरण हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है, तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 9/10/26 को जारी की गयी।
प्राधिकृत अधिकारी, नगरपालिका मण्डल, सांभर लेक

"स्वच्छ फुलेरा स्वस्थ फुलेरा"
प्ररूप-10 नियम 6 (7) देखिए)
प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय, नगर पालिका मण्डल, फुलेरा
क्रमांक-न.पा.फु./2026-27/2574 **लोक सूचना** दिनांक-10/10/26
श्री बाबुलाल पुत्र श्री मेघेराज जाति कुमावत व श्री चिरंजी लाल कुमावत पुत्र श्री मेघराज जाति कुमावत निवासी गुढा बैरसल, तहसील फुलेरा जिला जयपुर राज. ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग (भू-रुपान्तरण) हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया हैं, अर्थात् :-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्र
जिला जयपुर जयपुर तहसील फुलेरा	दयाल नगर	खसरा न0 269/153 रकबा 0.0570 हेक्टेयर, खसरा न0 271/154 रकबा 0.0063 हे., खसरा न0 270/153 रकबा 0.0695 हेक्टेयर, खसरा न. 272/154 रकबा 0.0063 हेक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा 0.1391 हेक्टेयर भूमि वाके ग्राम दयाल नगर फुलेरा	खसरा न0 269/153 रकबा 0.0570 हेक्टेयर, खसरा न0 271/154 रकबा 0.0063 हे.. खसरा न0 270/153 रकबा 0.0695 हेक्टेयर, खसरा न. 272/154 रकबा 0.0063 हेक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा 0.1391 हेक्टेयर

इस लिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोगार्थ हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है, तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 10.10.26 को जारी की गयी।
(महिमा सोनी) प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका मण्डल फुलेरा